



सत्यमेव जयते

भारत सरकार

बजट 2026

कर सुधार - सूची एवं सार

फरवरी, 2026

वित्त मंत्रालय
राजस्व विभाग

विषय सूची

विवरण	पृष्ठ संख्या
भाग - क - स्टैकहोल्डर-वार विश्लेषण	
किसान और मछुआरे	1
सहकारिता	2
मध्यमवर्गीय परिवार	3
भारतीय व्यापार (कारपोरेट एवं एमएनसी)	4
भारतीय व्यवसाय (एमएसएमई)	5
अनिवासी बहुराष्ट्रीय कॉर्पोरेशन	6
अनिवासी भारतीय (एनआरआई)	7
छात्र	8
वरिष्ठ नागरिक	9
विनिर्माण इकाइयां	10
आयातक	11
निर्यातक	12
आम आदमी	13
भाग - ख - विषय परक विश्लेषण	
मेक इन इंडिया	14
कर निश्चितता	15
विश्वास आधारित कर प्रशासन	16
विवाद निवारक और अभियोजन प्रबंधन	17
अनुपालन की सुगमता/व्यापार करने की सुगमता	18-19
विदेशी निवेश तथा सहयोग को प्रोत्साहित करना	20
प्रौद्योगिकी-प्रेरित एवं डिजिटल शासन	21
एमएसएमई को बढ़ावा देना	22
सहकारिता बढ़ाना	23
जीवन की सुगमता और सामाजिक सुरक्षा	24

भाग - क
स्टेकहोल्डर-वार विश्लेषण

किसान और मछुआरे

भारत की ग्रामीण अर्थव्यवस्था के आधार को सशक्त करना

“यदि कृषि क्षेत्र की स्थिति ठीक नहीं है तो कुछ भी ठीक नहीं हो सकता”

लक्ष्य

आय निश्चितता को बढ़ाने, नकदी प्रवाह चिंताओं को कम करने, और एक कर-व्यापार ईकोसिस्टम सृजित करना, जो भारतात की कृषि और समुद्री क्षेत्रों की प्रचालन व्यस्तविकताओं को प्रतिबिंबित करता है-यह सुनिश्चित करते हुए की जो देश का पेट भर रहे है, उनपर राजकोषीय अवरोधों का भर ना पड़े

मुख्य नीतिगत सुधार

समुद्री व्यापार प्रतिस्पर्धात्मकता को सुदृढ़ करना

- अन्नय आर्थिक क्षेत्र और गहरे समुद्र में पकड़ी गई मछलियां जब भारतीय पत्तनों पर लाई जाती हैं तब उन्हें शुल्क रहित और विदेशी पत्तनों पर पहुंचती हैं तब उन्हें निर्यात माना जाना
- विनिर्दिष्ट इन्पुट के शुल्क आयात की मूल्य सीमा को पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान निर्यात किए गए समुद्री खाद्य उत्पादों की एफओबी मूल्य को 1% से बढ़ाकर 3% किया गया
- तैदू पत्तियों पर स्रोत का कर संग्रहण कम करके 2% कर दिया गया।



संभावित प्रभाव

- किसानों और मछुआरों के माध्यम से उच्च निवल अनुभूति
- समावेशी ग्रामीण विकास को बढ़ाने के लिए मजबूत सहकारी संस्थान
- स्पष्ट प्रावधानों और मछली संबंधी संसाधनों के दक्ष उत्पादन से मछुआरे लाभान्वित होंगे।
- समुद्री निर्यातों के संबंध में बढ़ती निर्यात प्रतिस्पर्धा और अधिक मूल्य की प्राप्ति होना

सहकारिता संग्रहीत शक्ति, साझा समृद्धि, मापनीय वृद्धि

“मिले जुले प्रयास और सामूहिक जिम्मेदारी से ही वास्तविक प्रगति प्राप्त की जा सकती है।”

लक्ष्य

सहकारिताओं को समावेशी आर्थिक संस्थाओं के रूप में मजबूत करना और उन कर अदक्षताओं को हटाना जो उनके पूंजी दक्षता, मापक्रम और दीर्घ-कालिक सततता को सीमित करती हैं।

मुख्य नीतिगत सुधार

विस्तारित प्रोत्साहन

- उन प्राथमिक सहकारिता सोसायटीयों जो इसके सदस्यों द्वारा दूध, तेलहन, उगाए गए फल या सब्जियों को पशु चारा एवं कपास बीज आपूर्तिकर्ता को देते हैं के लिए कटौती का विस्तार पहले से ही लागू है।

वितरित लाभांशों के लिए कर तटस्थता

- नई कर व्यवस्था के अंतर्गत अंतर-सहकारी सोसायटी लाभांश आय को कटौती के रूप में इस शर्त के साथ कि वह आगे इसके सदस्यों को वितरित की जाएगी

विरासत वाले निवेशों को बनाए रखना

- 31.1.2026 तक कंपनियों में किए गए निवेश पर अधिसूचित राष्ट्रीय सहकारी परिसंघ द्वारा अर्जित लाभांश आय पर तीन वर्ष की अवधि के लिए छूट की अनुमति। इस छूट की अनुमति उन्हीं लाभांश पर लागू होगी जो आगे उसके सदस्य सहकारियों को वितरित होगा।



संभावित प्रभाव

- सहकारिता नेटवर्क में सुधरी पूंजीगत दक्षता
- मजबूत तुलन पत्र और पुनः निवेश क्षमता
- सहकारी संरचना में कर विकृति की कमी
- मापनीय, व्यावसायिक रूप से शासित सहकारी उद्यम

मध्यमवर्गीय परिवार कम घर्षण, बचत संरक्षण

“कोई देश कितना मजबूत है यह उसके परिवारों की समृद्धि में परिलक्षित होता है।”

लक्ष्य

अनुपालन बोझ, सीमा शुल्क दर और प्रक्रिया को युक्तीकृत बनाना, विदेशी प्रेषण को युक्तिसंगत बनाना, और समग्र करदाता अनुभव में सुधार करते हुए दीर्घ-कालिक घरेलू बचत का संरक्षण

मुख्य नीतिगत सुधार

यात्री सुविधा

- शुल्क-मुक्त भत्तों को संशोधित किया गया और व्यक्तिगत सामानों सहित नया लैपटॉप लाने के लिए इनमें स्पष्टता लाई गई है

विदेशी यात्रियों के लिए सुलभ घोषणा

- घोषणा एवं इयूटी भुगतान हेतु ऑनलाइन एवं ऐप आधारित सुविधा

विदेश से आवास बदलने पर सुविधा

- विदेश से आवास बदलने के दौरान घरेलू सामान लाने के लिए शुल्क युक्त पात्रता में संशोधन

सीमा शुल्क युक्तिकरण/छूट

- उपहार सहित सभी व्यक्तिगत आयातों के लिए समान सीमा शुल्क लागू करना
- माइक्रोवेव ओवन के महत्वपूर्ण और मंहगे घटकों के सीमा शुल्क में छूट दी जा रही है।
- कैंसर के उपचार के लिए 17 ड्रग्स/दवाओं पर सीमा शुल्क में छूट
- 7 और दुर्लभ बीमारियों के संबंध में ड्रग्स/दवा और खाद्य के सीमा शुल्क मुक्त व्यक्तिगत आयात

टीसीएस युक्तिकरण

- विदेशी यात्रा कार्यक्रम पैकेज की बिक्री पर टीसीएस दर को कम करके 2 प्रतिशत करना (वर्तमान 5 प्रतिशत और 20 प्रतिशत से)
- शिक्षा और चिकित्सा हेतु एलआरएस प्रेषण की टीसीएस दर को कम करके 2 प्रतिशत करना (वर्तमान 5 प्रतिशत से)

लाभांश कटौती सुगमता

- निक्षेपागार को लाभांशों, ब्याज, आदि पर टीडीएस जमा करने के लिए फार्म 15जी या फार्म 15एच हेतु एकल विंडो

विदेशी आस्ति प्रकटीकरण योजना

- छोटे करदाताओं के लिए एकबारगी 6 माह विदेशी आस्ति प्रकटीकरण योजना



संभावित प्रभाव

- अंतरराष्ट्रीय यात्रियों के लिए हवाई अड्डे पर तीव्र सीमा शुल्क प्रक्रिया
- निम्न कर घर्षण; रोगियों पर वित्तीय बोझ को कम करना।
- शिक्षा, चिकित्सा और विदेशी यात्रा पैकेज के लिए विदेश से धन प्रेषित करने वाले कर दाताओं का नकद प्रवाह निर्गम
- कर दाताओं हेतु अनुपालन में सुगमता।

भारतीय व्यापार (कारपोरेट एवं एमएनसी) निवेश -प्रेरित विकास का सुविधाकरण

“कर निश्चितता और स्थायित्व सतत निवेश और विकास की आवश्यक शर्त है।”

लक्ष्य

कर निश्चितता को बढ़ाना, विवादों को कम करना, और भारत के कॉर्पोरेट कर और विनियामक फ्रेमवर्क को सर्वोत्तम वैश्विक पद्धतियों से संरेखित करना, जिससे निवेशक विश्वास और दीर्घ-कालिक निवेश निर्माण मजबूत होगा।

सीमा शुल्क प्रक्रिया सुधार

- विश्वसनीय संस्थाओं हेतु आस्थगित शुल्क भुगतान विंडो
- विश्वसनीय आपूर्ति श्रृंखला के लिए स्वचालित वस्तु पंजीकरण एवं निकासी
- ई-सील्ड कार्गो के लिए निर्यात के दौरान एंड-टू-एंड स्वचालित निकासी
- स्वैच्छिक भुगतान को दंड के स्थान पर एक गैर दंडनीय भार समझा जाना
- स्पष्टता और सटीक वर्गीकरण के लिए उत्पाद विशेष टेरिफ प्रविष्टियां सृजित की गईं
- अग्रिम निर्णयन वैधता को पाँच वर्ष तक बढ़ाया गया।
- व्यापार हेतु एकीकृत प्रणाली हेतु पीजीए से संपर्क करने के लिए सिंगल टच पाइंट संपर्क

सीमा शुल्क युक्तिकरण/ छूट

- हवाई जहाजों के विनिर्माण हेतु उसके कलपुर्जों, घटकों और इंजन पर छूट
- नाभिकीय ऊर्जा परियोजनाओं की वस्तुओं पर छूट
- बैटरी एनर्जी स्टोरेज प्रणाली की बैटरी हेतु लीथियम आयन सैलों के विनिर्माण हेतु पूंजीगत वस्तुओं छूट

आईटी/आईटीईएस क्षेत्र को कर निश्चितता

- आईटी/आईटीईएस के लिए नई उच्च सीमा और प्रतिस्पर्धित मार्जिन सहित सुरक्षित स्थान संबंधी प्रावधान
- आईटी/आईटीईएस के बड़े लेनदेन को गतिशील एपीए कार्यक्रम के तहत कवर किया गया।

न्यूनतम वैकल्पिक कर

- कंपनियों के लिए नई कर व्यवस्था में परिवर्तन को एम ए टी व्यवस्था को युक्तिसंगत बनाना।

शेयर पुनः खरीद

- पुनः खरीद का कराधान प्रमोटर के लिए भिन्न दर के साथ पॉन्जीगत लाभ व्यवस्था के साथ संरेखित किया गया है।

महत्वपूर्ण खनिज क्षेत्र को सहायता

- महत्वपूर्ण खनिजों की खोज पर होने वाले व्यय को पाँच वर्षों की अवधि के दौरान व्यय एवं परिशोधन के रूप में अनुमति



संभावित प्रभाव

- मुकदमेबाजी को कम करना और अनुपालन अनिश्चितता
- बड़े निवेशकों के लिए पूर्व अनुमानित कर निधारण
- निवेश विश्वास में सुधार और पूंजी अंतर्वाह।
- बड़े उद्यमों के लिए व्यापार में सुगमता में बढ़ोतरी

भारतीय व्यवसाय (एमएसएमई) लघु उद्यमों के विकास और लचीलता को समर्थ करना

“लघु उद्यम रोजगार और नवाचार का मूल आधार है.”

लक्ष्य

अनुपालन लागतों को कम करना, कराधान को सरल करना, और एम एस एम ई के लिए मुकदमेबाज़ी के प्रभाव को कम करना, जिससे उनके संसाधन विकास, रोजगार सृजन, और औपचारिकीकरण पर केंद्रित हों।

मुख्य नीतिगत सुधार

आस्थगित शुल्क

- विश्वसनीय एमएसएमई आस्थगित शुल्क भुगतान संबंधी विंडो

प्रणाली आधारित निकासी

- विश्वसनीय आपूर्ति श्रृंखला के लिए स्वचालित वस्तु पंजीकरण एवं निकासी।

डिजिटल शासन:

- व्यापार हेतु एकीकृत प्रणाली हेतु पीजीए से संपर्क करने के लिए सिंगल टच पाइंट संपर्क

नई ट्रेडिफ लाइन

- उत्पाद विशिष्ट प्रविष्टियों से निर्यात संबंधी ट्रेकिंग और नीतिगत डिजाइन बेहतर हो सकेगी जिससे एमएसएमई द्वारा मूल्य संवर्धित निर्यात को सहायता मिलेगी।

लघु करदाताओं हेतु नकदी में सुधार

- एम एस एम ई सहित लघु करदाताओं हेतु निम्न कटौती प्रमाणपत्र योजना

श्रम-गहन क्षेत्रों के लिए टीडीएस सरलीकरण


- श्रम-गहन एम एस एम ई को सरल टी डी एस प्रावधानों से कर्मचारी आपूर्ति से लाभ मिलेगा

शास्ति-आधारित विवादों को कम करना

- कार्यविधिक चूक के लिए शास्तियों को शुल्क में परिवर्तित करने से प्रतिकूल मुकदमेबाज़ी में कमी आएगी और विश्वास-आधारित अनुपालन में वृद्धि होगी।

त्रुटि सुधारने हेतु समय प्रदान करना

- संशोधित और अपडेटेड रिटर्न एम एस एम ई को दांडिक परिणामों के भय के बिना त्रुटि सुधारने की अनुमति मिलेगी



संभावित प्रभाव

- नकदी प्रवाह और तरलता में सुधार।
- मुकदमेबाज़ी का सामना करने में कमी।
- अनुपालन लागत में कमी।
- एमएसएमई के बीच उच्च औपचारिकीकरण

अनिवासी बहुराष्ट्रीय कॉर्पोरेशन भारत को वैश्विक मुल्य शृंखला में एकीकृत करना

“ वैश्विक वाणिज्य में भारत को विश्वसनीय और संभावित भागीदार बनना पड़ेगा ”

लक्ष्य

वैश्विक निवेश को आकर्षित करने के लिए कर निश्चितता और अंतरराष्ट्रीय मानकों के साथ संरेखित करने को सुनिश्चित करना, भारत को बहुराष्ट्रीय कार्यों के लिए एक विश्वसनीय स्थान के रूप में स्थापित करेगा।

मुख्य नीतिगत सुधार

आईटी/आईटीईएस क्षेत्र को कर निश्चितता

- आईटी/आईटीईएस के लिए नए उच्च सीमा और प्रतिस्पर्धित मार्जिन सहित सुरक्षित स्थान संबंधी प्रावधान
- आईटी/आईटीईएस के बड़े लेनदेन को गतिशील एपीए कार्यक्रम के तहत कवर किया गया।

डाटा केंद्र प्रोत्साहन

- वर्ष 2047 तक किसी भी विदेशी कंपनी को कर राहत जो भारत में डाटा सेंटर सेवाओं का उपयोग करके विश्व में क्लाउड सेवाएं प्रदान करेगा।
- सुरक्षित स्थान देना यदि निवासी कंपनी किसी संबंधित संस्था को डाटा सेंटर सेवाएं प्रदान कर रही है तो।

वैश्विक आपूर्ति शृंखला के कराधान को सरल बनाना

- 0.7 प्रतिशत के प्रभावी कर के साथ अनिवासियों को बॉडेड भंडारगृह में भंडारण घटक के लिए सुरक्षित स्थान (प्रतिस्पर्धी क्षेत्राधिकारों से निम्न में)।
- बॉडेड क्षेत्र में किसी टोल विनिर्माता को पूंजीगत वस्तुओं, उपकरण या औजारों प्रदान करने वाली किसी अनिवासी को पाँच वर्ष की छूट।

आईएफएससी का वैश्विक हब के रूप में लाभ उठाना

- आई एफ एस सी इकाइयों को अनुमोदित व्यापार के लिए लाभ संबंधित कटौती 25 वर्षों में से 20 निरंतर वर्षों के लिए बढ़ाई जाती है।



संभावित प्रभाव

- मुकदमेबाजी को कम करना और अनुपालन अनिश्चितता
- बड़े निवेशकों के लिए पूर्व अनुमानित कर निधारण
- निवेश विश्वास में सुधार और पूंजी अंतर्वाह।

अनिवासी भारतीय (एनआरआई) सीमापार संपर्क का सरलीकरण

“भारत को अपने प्रवासियों के साथ भावुक और आर्थिक रूप से जुड़े रहना होगा”

लक्ष्य

अनिवासी भारतीयों के लिए, अनुपालन घर्षण को कम करके और कर निश्चितता में सुधार करके, सीमापार वैयक्तिक, संपत्ति और निवेश संबंधित लेनदेन को सरल बनाना।

मुख्य नीतिगत सुधार

यात्री सुविधा

- शुल्क-मुक्त भत्तों को संशोधित किया गया और व्यक्तिगत सामानों सहित नया लैपटॉप लाने के लिए इनमें स्पष्टता लाई गई है

विदेशी यात्रियों के लिए सुलभ घोषणा

- घोषणा एवं इयूटी भुगतान हेतु ऑनलाइन एवं ऐप आधारित सुविधा

विदेश से आवास बदलने पर सुविधा

- विदेश से आवास बदलने के दौरान घरेलू सामान लाने के लिए शुल्क युक्त पात्रता में संशोधन

सीमा शुल्क युक्तिकरण

- उपहार सहित सभी व्यक्तिगत आयातों के लिए समान सीमा शुल्क लागू करना

संपत्ति से संबंधित अनुपालन को सरल बनाना

- एनआरआई के संपत्ति लेनदेन के लिए टीएएन को निवासी खरीदार के पैर आधारित चालान से बदल जाएगा।

टीसीएस युक्तिकरण

- विदेशी यात्रा कार्यक्रम पैकेज की बिक्री पर टीसीएस दर को कम करके 2 प्रतिशत करना (वर्तमान 5 प्रतिशत और 20 प्रतिशत से)
- शिक्षा और चिकित्सा हेतु एनआरएस प्रेषण की टीसीएस दर को कम करके 2 प्रतिशत करना (वर्तमान 5 प्रतिशत से)

लघु करदाताओं की विदेशी आस्ति प्रकटीकरण योजना

- छोटे करदाताओं के लिए एकबारगी 6 माह विदेशी आस्ति प्रकटीकरण योजना



संभावित प्रभाव

- एनआरआई के लिए वर्धित अनुपालन सुगमता।
- सीमापार लेनदेन में घर्षण को कम करना।
- भारतीय अर्थव्यवस्था के साथ प्रवासी भारतीय समुदाय का मजबूत संपर्क।

छात्र शिक्षा तक पहुंच बढ़ाना

“शिक्षा राष्ट्रीय विकास का सबसे शक्तिशाली साधन है।”

लक्ष्य

विदेश में शिक्षा से जुड़े तत्काल वित्तीय बोझ को कम करना और छात्रों और परिवारों के लिए शिक्षा वित्तीयन तक पहुंच में सुधार करना।

मुख्य नीतिगत सुधार

दर सुधार

- उपहारों सहित सभी व्यक्तिगत आयातों के लिए एकरूप सीमा शुल्क लागू किया जा रहा है।
- शिक्षा प्राप्त करने और चिकित्सा उद्देश्य के लिए उदार धन प्रेषण योजना के तहत टीसीएस दर को कम करके 2 प्रतिशत करना (मौजूदा 5 प्रतिशत से)।

लघु करदाताओं की विदेशी आस्ति प्रकटीकरण योजना

- छोटे करदाताओं के लिए उनकी विदेशी आय या आस्ति के प्रकटीकरण के लिए एककालिक 6-माह विदेशी आस्ति प्रकटीकरण योजना।



संभावित प्रभाव

- छात्रों के लिए तत्काल लागत कम होगा।
- शिक्षा वित्तीयन तक बेहतर पहुंच।
- अल्पावधि उधारी पर कम निर्भरता।
- आयातित पार्सलों को त्वरित अनापत्ति।

वरिष्ठ नागरिक गरिमा, सरलता, और आय सुरक्षा

“किसी समाज का आकलन इस बात से होता है कि वह अपने बुजुर्गों के साथ कैसा व्यवहार करता है।”

लक्ष्य

प्रक्रियात्मक और प्रशासनिक बोझ को कम करके वरिष्ठ नागरिकों के लिए कर अनुपालन को सरल करना और सेवानिवृत्ति बचत की सुरक्षा।

मुख्य नीतिगत सुधार

सीमा शुल्क सुधार

- कैंसर के उपचार के लिए 17 औषधियों/दवाओं पर सीमा शुल्क की छूट दी जा रही है।
- 7 और असाधारण बीमारियों के लिए औषधियों/दवाइयों के निजी आयात को शुल्क मुक्त किया गया है।

कम कटौती प्रमाण-पत्र

- छोटे करदाताओं के लिए स्कीम, जिसमें कर निर्धारण अधिकारी के पास आवेदन दायर करने के स्थान पर एक नियम आधारित स्वचालित प्रक्रिया से कम या शुन्य कटौती प्रमाण-पत्र प्राप्त किया जा सकता है।

लाभांश कटौती में आसानी

- लाभांश, ब्याज, आदि पर टीडीएस के लिए फॉर्म 15जी या फॉर्म 15एच के लिए न्यास के पास एकल विंडो फाइलिंग।

लघु करदाताओं की विदेशी आस्ति प्रकटीकरण योजना

- छोटे करदाताओं के लिए उनकी विदेशी आय या आस्ति के प्रकटीकरण हेतु एक कालिक 6 माह विदेशी आस्ति प्रकटीकरण स्कीम।

संशोधित रिटर्न

- रिटर्न संशोधित करने के लिए उपलब्ध समय को नाममात्र के शुल्क के भुगतान के साथ 31 दिसंबर से बढ़ाकर 31 मार्च किया गया है।



संभावित प्रभाव

- वरिष्ठ नागरिकों के लिए कम अनुपालन बोझ।
- बेहतर आय सुरक्षा।
- मध्यस्थों पर कम निर्भरता।
- सेवानिवृत्त लोगों के लिए मानसिक शांति।
- लक्षित व्यवहार तक बढ़ती पहुंच।

विनिर्माण इकाइयां घरेलू उत्पादन और प्रतिस्पर्धा को सुदृढ़ करना

“भारत को विश्व का निर्माण, नवाचार और विनिर्माण केंद्र बनना चाहिए।”

लक्ष्य

कर और विनियामक स्पष्टता सुनिश्चित करते हुए घरेलू विनिर्माण को समर्थन देना, लागत दबाव कम करना, और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला के साथ एकीकरण में सुधार करना।

मुख्य नीतिगत सुधार

आस्थगित शुल्क

- विश्वस्त विनिर्माताओं के लिए आस्थगित शुल्क भुगतान विंडो।

प्रणाली प्रेरित समाशोधन

- विश्वस्त आपूर्ति श्रृंखला के लिए स्वचालित वस्तु पंजीकरण और समाशोधन।

डिजिटल शासन

- व्यापार के लिए एकीकृत प्रणाली में पीजीए के साथ एकल टच प्वाइंट संपर्क।

नए प्रशुल्क लाइन

- बेहतर निर्यात ट्रेकिंग के लिए उत्पाद विशिष्ट प्रविष्टियां और पॉलिसी डिजाइन जिससे मूल्यवर्धित निर्यात को समर्थन मिलेगा।

सीमा शुल्क प्रक्रिया में अन्य सुधार


- कुरियर निर्यात में मूल्य को हटाना और वापसी एवं अस्वीकृति के लिए आसान निर्बाध प्रक्रिया।
- नया फ्रेमवर्क विनिर्माताओं को प्रणाली आधारित सूचना और डिजिटल अभिलेख के माध्यम से भंडारगृहों और उत्पादन स्थानों के बीच सामान को लाने-ले जाने में सक्षम करेगा।

सीमा शुल्क छूट

- विमानों के विनिर्माण के लिए पुर्जों, घटकों और इंजन।
- नाभिकीय ऊर्जा परियोजनाओं के लिए सामान।
- बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणालियों के बैटरी के लिए लिथियम-आयन सेल के विनिर्माण के लिए पूंजी वस्तु।
- सौर ग्लास विनिर्माण के लिए आयातित सोडियम एंटीमोनेट।
- मोनाजाइट जो ईवी के उच्च निष्पादन स्थायी मैग्नेट के लिए मुख्य कच्चा माल।
- फेरस स्क्रेप (2 और वर्ष के लिए विस्तारित)
- रक्षा पीएसयू द्वारा विमान एनआरओ प्रचालनों के लिए पुर्जों के विनिर्माण के लिए कच्चा माल।
- घरेलू विनिर्माण को समर्थन देने के लिए पोटेशियम हाइड्रोक्साइड पर सीमा शुल्क को शुन्य से 7.5 किया गया है।

वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला का सरल कराधान

- किसी बांडेड भंडार में घटक भंडारण के लिए अनिवासियों को 0.7% के प्रभावी कर दर पर सुरक्षित हार्बर।
- बांडेड क्षेत्र में किसी टोल विनिर्माता को पूंजी माल, उपकरण या ट्रलिंग उपलब्ध कराने वाले किसी अनिवासी को पांच वर्ष की छूट दी जाएगी।



अनुमानित प्रभाव

- कम विनिर्माण लागत।
- बेहतर आपूर्ति श्रृंखला कुशलता।
- अधिक वैश्विक प्रतिस्पर्धा।
- घरेलू विनिर्माण में त्वरित प्रगति।

आयातक
व्यापार को सुव्यवस्थित करना और फ्रिक्शन कम करना

“व्यापार सुगमता प्रतिस्पर्धी अर्थव्यवस्था के लिए अनिवार्य है।”

लक्ष्य

सीमा शुल्क प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करना, संव्यवहार लागत कम करना, और आयातकों के लिए पूर्वानुमान बेहतर करना, और इस प्रकार भारत के व्यापार सुविधा फ्रेमवर्क में सुधार करना।

आस्थगित शुल्क

- विश्वस्त विनिर्माताओं के लिए आस्थगित शुल्क भुगतान विंडो।

प्रणाली प्रेरित समाशोधन

- विश्वस्त आपूर्ति श्रृंखला के लिए स्वचालित वस्तु पंजीकरण और समाशोधन।

डिजिटल शासन:

- व्यापार के लिए एकीकृत प्रणाली में पीजीए के साथ एकल टच प्वाइंट संपर्क।

नए प्रशुल्क लाइन

- बेहतर निर्यात ट्रेकिंग के लिए उत्पाद विशिष्ट प्रविष्टियां और पॉलिसी डिजाइन जिससे मूल्यवर्धित निर्यात को समर्थन मिलेगा।

सीमा शुल्क प्रक्रिया में अन्य सुधार

- कुरियर निर्यात में मूल्य को हटाना और वापसी एवं अस्वीकृति के लिए आसान निर्बाध प्रक्रिया।
- नया फ्रेमवर्क विनिर्माताओं को प्रणाली आधारित सूचना और डिजिटल अभिलेख के माध्यम से भंडारगृहों और उत्पादन स्थानों के बीच सामान को लाने-ले जाने में सक्षम करेगा।



संभावित प्रभाव

- तेज सीमा शुल्क समाशोधन।
- कम लॉजिस्टिक्स और अनुपालन लागत।
- आयातकों के लिए बेहतर तरलता।
- बेहतर व्यापार सुविधा और पूर्वानुमान।

निर्यातक वैश्विक बाजारों में प्रतिस्पर्धा बढ़ाना

“निर्यात केवल व्यापार नहीं हैं; वे राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा बढ़ाने के उपाय भी हैं।”

लक्ष्य

कर निश्चितता और प्रक्रियात्मक सरसीकरण द्वारा निर्यातकों के लिए निर्यात प्रतिस्पर्धा बढ़ाना, टर्नएराउंड समय कम करना, और निर्यातकों के लिए नकद प्रवाह में सुधार करना।

मुख्य नीतिगत सुधार

सीमा शुल्क प्रक्रिया सुधार

- कुरियर निर्यात में मूल्य को हटाना और वापसी एवं अस्वीकृति के लिए आसान निर्बाध प्रक्रिया।
- नया फ्रेमवर्क विनिर्माताओं को प्रणाली आधारित सूचना और डिजिटल अभिलेख के माध्यम से भंडारगृहों और उत्पादन स्थानों के बीच सामान को लाने-ले जाने में सक्षम करेगा।
- ई-सील्ड कार्गो के लिए निर्यात के दौरान पूर्ण आयोपांत स्वतः समाशोधन।

मतस्य पालन

- अनन्य आर्थिक क्षेत्र और गहरे समुद्र में पकड़ी गई मछलियां जब भारतीय पत्तनों पर लाई जाती हैं तब उन्हें शुल्क रहित और विदेशी पत्तनों पर पहुंचती हैं तब उन्हें निर्यात माना जाना
- विनिर्दिष्ट इन्पुट के शुल्क आयात की मूल्य सीमा को पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान निर्यात किए गए समुद्री खाद्य उत्पादों की एफओबी मूल्य को 1% से बढ़ाकर 3% किया गया

नए प्रशुल्क लाइन

- बेहतर निर्यात ट्रेकिंग के लिए उत्पाद-विशिष्ट प्रविष्टियां और नीति डिजाइन और इस प्रकार मूल्यवर्धित निर्यात को समर्थन

डिजिटल शासन

- व्यापार के लिए यूनिफाइड प्रणालियों में पीजीए के साथ एकल स्पर्श बिंदु संपर्क होगा।

अन्य

- शू-अपर के निर्यातकों के लिए विनिर्दिष्ट निविष्टियों का शुल्क मुक्त आयात।
- शुल्क मुक्त आयातित निविष्टि का उपयोग करके निर्यात हेतु समय अवधि को चर्म और वस्त्र क्षेत्र में निर्यातकों के लिए 6 माह से बढ़ाकर 1 वर्ष किया जा रहा है।



संभावित प्रभाव

- निर्यातकों के लिए बेहतर नकद प्रवाह।
- तेज नौप्रेषण और समाशोधन समय।
- कम कर और प्रक्रियात्मक अनिश्चितता।
- वैश्विक बाजारों में उच्चतर निर्यात प्रतिस्पर्धा।

आम आदमी कर बोझ में कमी और जीवन आसान

“सुशासन का अर्थ नागरिकों का जीवन आसान बनाना है”

लक्ष्य

अप्रत्यक्ष करों को युक्तिसंगत बनाने, सीमा-शुल्क प्रक्रियाओं के सरलीकरण और वैध नकदी प्रवाह की कमी द्वारा आम आदमी के ऊपर वित्तीय और अनुपालन बोझ को कम करना जिससे कि दिन-प्रतिदिन कल्याण, स्वास्थ्य देखभाल तक पहुंच और यात्रा अनुभव में सुधार हो सके।

मुख्य नीतिगत सुधार

- माइक्रोवेव ओवनों में प्रयुक्त महत्वपूर्ण और लागत प्रभावित घटकों पर सीमा-शुल्क ड्यूटी में छूट दी जा रही है।
- विदेश यात्रा कार्यक्रम पैकेज की बिक्री पर टीसीएस की दर बिना किसी राशि निर्धारण के मौजूदा पांच प्रतिशत और बीस प्रतिशत से कम कर करते हुए दो प्रतिशत की गई है।
- कैंसर के उपचार के लिए 17 ड्रग्स/दवाओं पर सीमा-शुल्क ड्यूटी में छूट दी जा रही है।
- विशेष चिकित्सा उद्देश्यों के लिए ड्रग्स/दवाओं तथा खाद्य पदार्थ के ड्यूटी मुक्त व्यक्तिगत आयात की सुविधा 7 और दुर्लभ बीमारियों के लिए विस्तारित की जा रही है।
- शिक्षा ग्रहण करने तथा चिकित्सा प्रयोजनों के लिए उदारीकृत विप्रेषण योजना के अंतर्गत टीसीएस की दर पांच प्रतिशत से कम करके दो प्रतिशत की गई।
- ड्यूटी-मुक्त भत्तों को संशोधित किया गया है।
- घोषणा और ड्यूटी भुगतान करने की ऑनलाइन एवं ऐप आधारित सुविधा अंतराष्ट्रीय यात्रियों को उपलब्ध कराई जाएगी।



संभावित प्रभाव

- अप्रत्यक्ष कर भार की कमी के माध्यम से जीने की कम लागत
- उपचार और अनुपालन लागतों में कमी के साथ किफायती स्वास्थ्य देखभाल
- स्पष्ट नियमों और डिजिटल प्रक्रिया के साथ आसान और आरामदायक यात्रा
- अप्रत्यक्ष करायान में अधिक पारदर्शिता एवं आसान अनुपालन

भाग – ख
विषय परक विश्लेषण

मेक इन इंडिया

निर्माण उसका जिसे दुनिया भारत से खरीदे

“जो राष्ट्र स्वयं के लिए निर्मित करता है वह विश्व में अपना स्थान अर्जित करता है”

लक्ष्य

घरेलू विनिर्माण को सुदृढ़ बनाना, वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं को भारत के साथ एकीकृत करना तथा लॉजिस्टिक्स आधारित औद्योगिक विकास को प्रोत्साहित करना।

मुख्य नीतिगत सुधार

सीमा-शुल्क प्रक्रियाओं में सुधार

- विश्वसनीय विनिर्माताओं को आस्थगित इयूटी भुगतान विंडो
- विश्वसनीय आपूर्ति श्रृंखला को स्वचालित सामान पंजीकरण एवं अनापत्ति
- व्यापार के लिए एकीकृत प्रणालियों को पीजीए के साथ सिंगल टच प्वाइंट की सुविधा
- उत्पाद विशिष्ट प्रविष्टियों के लिए बेहतर निर्यात ट्रेकिंग और नीतिगत डिजाइन जिससे मूल्य वर्धित निर्यातों को सहायता मिल सके
- नए ढांचे से विनिर्माता सिस्टम आधारित सूचना और डिजिटल रिकार्डों के माध्यम से सामानों को माल गोदामों और उत्पादन स्थानों के बीच लाने ले जाने में सक्षम

सीमा-शुल्क इयूटी में छूट

- हवाई जहाजों के निर्माण के लिए कलपुर्ज, घटक और इंजन
- परमाणु ऊर्जा परियोजनाओं के लिए वस्तुएं
- बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणालियों की बैटरियों हेतु लिथियम ऑयन सेलों के विनिर्माण के लिए पूंजीगत वस्तुएं
- सोलर ग्लास विनिर्माण के लिए सोडियम एंटीमोनेट का आयात किया गया है
- मोनाजाइट, जो ईवी के लिए उच्च निष्पादन स्थायी मेगनेटों हेतु एक महत्वपूर्ण कच्ची सामग्री है
- फेरस स्कैप (2 और वर्षों के लिए विस्तारित)
- रक्षा पीएसयू द्वारा एअरक्राफ्ट एमआरओ ऑपरेशन्स हेतु कलपुर्जों के विनिर्माण के लिए कच्ची सामग्रियां
- घरेलू विनिर्माण में सहायता हेतु पोटेशियम हाइड्रोक्साइड पर सीमा-शुल्क इयूटी को शून्य से बढ़ाकर 7.5% किया जा रहा है

वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं के कराधान का सरलीकरण

- 0.7% के प्रभावी कर के साथ अनुबद्ध मालगोदाम में घटक भंडारण के लिए अनिवासियों को सुरक्षित हार्बर
- किसी अनिवासी को पांच वर्षों की छूट जो अनुबद्ध जोन में टोल विनिर्माता को पूंजीगत वस्तु उपकरण या टूलिंग उपलब्ध कराता है।

महत्वपूर्ण खनिज वर्ग की सहायता

- महत्वपूर्ण खनिजों की खोज पर किये गए व्यय के बारे में प्रस्ताव है कि इसे व्यय के रूप में पांच वर्ष की अवधि के लिए परिशोधन हेतु अनुमति दी जाए।



संभावित प्रभाव

- बेहतर विनिर्माण प्रतिस्पर्धा
- कम इनपुट लागत
- मजबूत आपूर्ति-श्रृंखला स्थानीयकरण
- रणनीतिक क्षेत्रों में निवेश में वृद्धि

कर निश्चितता पूर्वानुमेयता जो निवेश निर्णयों को प्रेरित करती है

“ नियमों में निश्चितता से कार्रवाई में विश्वास संभव हो जाता है”

लक्ष्य

व्याख्यात्मक विवादों में कमी करते हुए कर निर्गम में पूर्वानुमेयता, स्पष्टता और स्थायित्व उपलब्ध कराना

मुख्य नीतिगत सुधार

आईटी/आईटीईएस क्षेत्र में कर निश्चितता

- अधिक सीमा और प्रतिस्पर्धी मार्जिन के साथ आईटी/आईटीईएस के लिए सुरक्षित हार्बर उपबंध
- आईटी/आईटीईएस के बड़े लेनदेन त्वरित एपीए के अंतर्गत कवर होंगे

वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं के कराधान का सरलीकरण

- 0.7 % के प्रभावी कर के साथ अनुबद्ध मालगोदाम में घटक भंडारण के लिए अनिवासियों को सुरक्षित हार्बर (प्रतिस्पर्धी क्षेत्राधिकारों से कम)
- किसी अनिवासी को पांच वर्षों की छूट जो अनुबद्ध जोन में टोल विनिर्माता को पूंजीगत वस्तु उपकरण या टूलिंग उपलब्ध कराता है।

आईएफएससी का ग्लोबल हब के रूप में लाभ

- अनुमोदित व्यापार के लिए आईएफएससी यूनिटों को लाभ सम्बद्ध कटौती 25 वर्षों में से 20 लगातार वर्षों की अवधि बढ़ाई गई

वैश्विक प्रतिभा सुधार

- अधिसूचित योजनाओं के अंतर्गत पांच वर्षों के लिए ठहरने की अवधि के संबंध में अनिवासी विशेषज्ञ की वैश्विक (भारत से इतर स्रोत) पर छूट

बाई-बैंक शेयर को युक्तिसंगत बनाना

- बाई-बैंक कराधान को प्रमोटरों के लिए प्रभेदक दर सहित पूंजीगत लाभ व्यवस्था के अनुरूप किया गया

त्रुटि सुधार के लिए समय उपलब्ध कराना

- संशोधित और अद्यतन विवरणियों के लिए समय-सीमा बढ़ाने से एमएसएमई परिणामी दंड के भय के बिना त्रुटियों का सुधार कर सकेंगे



संभावित प्रभाव

- कम मुकदमेवाजी
- समान कर स्थितियां
- त्वरित निर्धारण
- करदाता का बढ़ता विश्वास

विश्वास आधारित कर प्रशासन नीति निर्धारण से भागीदारी

“अनुपालन का प्रणेता विश्वास”

लक्ष्य

जटिल प्रवर्तन व्यवस्था से सुविधाजनक, विश्वासपरक कर प्रशासन की ओर बढ़ना

मुख्य नीतिगत सुधार

आस्थगित इयूटी

- विश्वसनीय एमएसएमई को आस्थगित इयूटी भुगतान विंडो

प्रणाली प्रेरित अनापति

- विश्वसनीय आपूर्ति श्रृंखला को स्वचालित सामान पंजीकरण एवं अनापति

डिजिटल शासन

- व्यापार के लिए एकीकृत प्रणालियों को पीजीए के साथ सिंगल टच प्वाइंट की सुविधा

यात्री सुविधा

- व्यक्तिगत सामानों सहित एक नया लैपटॉप लाने के संबंध में इयूटी-मुक्त भत्तों को संशोधित किया गया है तथा स्पष्टता लाई गई है

कम कटौती प्रमाण-पत्र

- छोटे करदाताओं के लिए योजना जहां वह नियम आधारित स्वचालित प्रक्रिया से कर निर्धारण अधिकारी के समक्ष आवेदन दाखिल करने के स्थान पर कम या शून्य कटौती प्रमाण-पत्र प्राप्त कर सकेंगे।

अपराध घोषित न किया जाना

- लेखा बहियों में, दस्तावेजों आदि जैसी प्रक्रियागत चूकों को अपराध की श्रेणी से हटा दिया गया है
- गौण अपराधों के लिए केवल जुर्माना
- अन्य अपराधों के लिए दंड केवल साधारण कारावास और अधिकतम कारावास को दो वर्षों तक कम करते हुए अपराध की प्रमात्रा के अनुरूप श्रेणीबद्ध किया जाएगा

दंड को युक्तिसंगत बनाना

- प्रक्रियागत चूकों के लिए दंड को जुर्माने में परिवर्तित किया गया है
- आय की गलत सूचना के लिए दंड अतिरिक्त आयकर के भुगतान के साथ उन्मुक्ति हेतु पात्र होगा



संभावित प्रभाव

- न्यून अनुपालन चिंता
- स्वैच्छिक प्रकटीकरण
- अपराधों में कमी
- करदाता और प्रशासन के बीच अधिक विश्वास

विवाद निवारक एवं अभियोजन प्रबंधन

शीघ्र निपटान, सदैव निपटान

“श्रेष्ठ विवाद आरंभ रहित होता है”

लक्ष्य

विवादों की शुरुआत में ही रोकथाम और विद्यमान अभियोजना का प्रभावशाली निपटान

मुख्य नीतिगत सुधार

दंड को हटाना

- सीमा-शुल्क के अंतर्गत स्वैच्छिक अदायगी को दंड के स्थान पर गैर दंडनीय आरोप माना जाएगा

सीमा-शुल्क अग्रिम नियम निर्धारण

- सीमा-शुल्क अग्रिम नियम निर्धारण की वैधता पांच वर्षों के लिए बढ़ाई गई है

नई टैरिफ लाइन

- बेहतर निर्यात ट्रेकिंग और नीति निर्धारण से उत्पाद विशिष्ट प्रविष्टियां जिससे एमएसएमई द्वारा मूल्य वर्धित निर्यातों को सहायता प्राप्त होगी

लघु करदाताओं की विदेशी आस्ति प्रकटीकरण योजना

- अपनी विदेशी आय या परिसंपत्ति प्रकट करने के लिए छोटे करदाताओं हेतु एकबारगी छह माह विदेशी परिसंपत्ति प्रकटीकरण योजना

दंड ढांचे में सुधार

- प्रस्ताव है कि आयकर निर्धारण एवं दंड कार्यवाहियों, दोनों के लिए एक समान आदेश द्वारा एकीकृत कर दिया जाए
- प्रक्रियागत चूकों के लिए दंड को जुर्माने में परिवर्तित किया गया है
- आय की गलत सूचना के लिए दंड अतिरिक्त आयकर के भुगतान के साथ उन्मुक्ति हेतु पात्र होगा

ब्लॉक कर निर्धारण

- तलाशी मामलों में तृतीय पक्षकार के संबंध में आयकर निर्धारण केवल एक वर्ष तक सीमित होगा

त्रुटि सुधार के लिए समय उपलब्ध कराना

- संशोधित और अद्यतन विवरणियों के लिए समय-सीमा बढ़ाने से एमएसएमई परिणामी दंड के भय के बिना त्रुटियों का सुधार कर सकेंगे

अभियोजन से उन्मुक्ति

- पच्चीस लाख रुपये से कम कुल मूल्य के साथ गैर-अचल परिसंपत्तियों के प्रकटीकरण न करने के लिए 1.10.2024 से भूतलक्षी प्रभाव से अभियोजन से उन्मुक्ति

आईटी/आईटीईएस क्षेत्र में कर निश्चितता

- अधिक सीमा और प्रतिस्पर्धी मार्जिन के साथ आईटी/आईटीईएस के लिए सुरक्षित हार्बर उपबंध
- आईटी/आईटीईएस के बड़े लेनदेन त्वरित एपीए के अंतर्गत कवर होंगे



संभावित प्रभाव

- कर विवादों में उल्लेखनीय कमी
- मामलों का त्वरित निपटान
- न्यायिक स्रोतों का दक्षतापूर्ण उपयोग

अनुपालन की सुगमता /व्यापार करने की सुगमता

सरल कानून, सुचारु अनुपालन, सफल व्यापार

“विकास तेज जब टकराव निस्तेज”

लक्ष्य

व्यापार और व्यक्तियों के लिए कर अनुपालन को सरल तथा प्रक्रियागत टकराव को कम करना

मुख्य नीतिगत सुधार

आस्थगित इयूटी

- विश्वसनीय विनिर्माताओं को आस्थगित इयूटी भुगतान विंडो

प्रणाली प्रेरित अनापत्ति

- विश्वसनीय आपूर्ति श्रृंखला को स्वचालित सामान पंजीकरण एवं अनापत्ति

डिजिटल शासन

- व्यापार के लिए एकीकृत प्रणालियों को पीजीए के साथ सिंगल टच प्वाइंट की सुविधा

नई टैरिफ लाइन

- उत्पाद विशिष्ट प्रविष्टियों के लिए बेहतर निर्यात ट्रेकिंग और नीतिगत डिजाइन जिससे मूल्य वर्धित निर्यातों को सहायता मिल सके

अन्य सीमा-शुल्क प्रक्रिया सुधार

- कुरियर निर्यातों में मूल्य की समाप्ति तथा वापसी एवं अस्वीकार के लिए आसान निर्बाध प्रक्रिया
- नए ढांचे से विनिर्माता सिस्टम आधारित सूचना और डिजिटल रिकार्डों के माध्यम से सामानों को माल गोदामों और उत्पादन स्थानों के बीच लाने ले जाने में सक्षम ।

सीमा-शुल्क अग्रिम नियम निर्धारण

- सीमा-शुल्क अग्रिम नियम निर्धारण की वैधता पांच वर्षों के लिए बढ़ाई गई है

मत्स्यपालन

- भारतीय मत्स्य जलयानों द्वारा अन्नय आर्थिक क्षेत्र तथा गहरे समुद्रों में पकड़ी गई मछलियों को भारतीय पत्तनों पर लाए जाने पर इयूटी मुक्त तथा विदेशी पत्तनों पर लाए जाने पर निर्यात माना जाएगा
- विशिष्ट इनपुट के इयूटी मुक्त आयातों की मूल्य सीमा पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान निर्यातित जलीय खाद्य उत्पादों के एफओबी मूल्य के 1% से बढ़ाकर 3% की गई है

टीडीएस/टीसीएस को युक्तिसंगत बनाना

- विदेशी यात्रा कार्यक्रम पैकेज की बिक्री पर टीसीएस की दर कम करके 2% (वर्तमान 5% और 20% से)
- शिक्षा और चिकित्सा के संबंध में एलआरएस विप्रेषण के लिए टीसीएस दर को कम करके 2% (वर्तमान 5% से)
- जनशक्ति आपूर्ति के लिए सरलीकृत टीडीएस प्रावधानों से श्रम आधारित व्यापार लाभान्वित होंगे

कम कटौती प्रमाण-पत्र

- छोटे करदाताओं के लिए योजना जहां वह नियम आधारित स्वचालित प्रक्रिया से कर निर्धारण अधिकारी के समक्ष आवेदन दाखिल करने के स्थान पर कम या शून्य कटौती प्रमाण-पत्र प्राप्त कर सकेंगे।

लाभांश कटौती में सुगमता

- लाभांश, ब्याज, आदि पर टीडीएस हेतु डिपोजिटरी में फार्म 15जी अथवा फार्म 15एच दाखिल करने के लिए सिंगल विंडो

लघु करदाताओं की विदेशी आस्ति प्रकटीकरण योजना

- अपनी विदेशी आय या परिसंपत्ति प्रकट करने के लिए छोटे करदाताओं हेतु एकबारगी छह माह विदेशी परिसंपत्ति प्रकटीकरण योजना

दंड ढांचे में सुधार

- प्रस्ताव है कि आयकर निर्धारण एवं दंड कार्यवाहियों, दोनों के लिए एक समान आदेश द्वारा एकीकृत कर दिया जाए
- प्रक्रियागत चूकों के लिए दंड को जुर्माने में परिवर्तित किया गया है
- आय की गलत सूचना के लिए दंड अतिरिक्त आयकर के भुगतान के साथ उन्मुक्ति हेतु पात्र होगा

ब्लॉक कर निर्धारण

- तलाशी मामलों में तृतीय पक्षकार के संबंध में आयकर निर्धारण केवल एक वर्ष तक सीमित होगा

संशोधित विवरणियां

- सांकेतिक शुल्क के भुगतान के साथ विवरणियों को संशोधित करने के लिए उपलब्ध समय को 31 दिसम्बर से बढ़ाकर 31 मार्च किया गया

आईटी/आईटीईएस क्षेत्र में कर निश्चितता

- अधिक सीमा और प्रतिस्पर्धी मार्जिन के साथ आईटी/आईटीईएस के लिए सुरक्षित हार्बर उपबंध
- आईटी/आईटीईएस के बड़े लेनदेन त्वरित एपीए के अंतर्गत कवर होंगे

अनुपालन की सुगमता/व्यवसाय की सुगमता
सरल कानून,निर्बाध अनुपालन,सफल व्यवसाय

“विकास में तेजी आती है, जब टकराव का अभाव होता है”



संभावित प्रभाव

- अनुपालन लागतों में कमी।
- स्वैच्छिक अनुपालन।
- तीव्र विवाद निपटान तथा बेहतर व्यवसाय की सुगमता

**विदेशी निवेश तथा सहयोग को प्रोत्साहित करना
भारत के साथ निर्माण के लिए विश्व को आमंत्रित करना**

“वहां पूंजी का प्रवाह होता है, जहां स्पष्टता और सहयोग प्राप्त होता है”

लक्ष्य

उच्च गुणवत्ता विदेशी निवेश को आकर्षित करना तथा प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देना और ज्ञान साझेदारी

मुख्य नीतिगत सुधार

आईटी/आईटीईएस क्षेत्र के लिए कर निश्चितता

- उच्च सीमा तथा प्रतिस्पर्धी मार्जिन के साथ आईटी/आईटीईएस के लिए नए सुरक्षित हार्बर का प्रावधान।
- त्वरित एपीए कार्यक्रम के तहत शामिल होने वाले आईटी/आईटीईएस के बड़े लेनदेन।

डाटा सेंटर प्रोत्साहन

- वर्ष 2047 तक किसी भी विदेशी कंपनी को कर राहत जो भारत में डाटा सेंटर सेवाओं का उपयोग करके विश्व में क्लाउड सेवाएं प्रदान करेगा।
- सुरक्षित स्थान देना यदि निवासी कंपनी किसी संबंधित संस्था को डाटा सेंटर सेवाएं प्रदान कर रही है तो।

वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला के कराधान सरलीकरण

- 0.7 प्रतिशत के प्रभावी कर के साथ अनिवासियों को बॉडेड भंडारगृह में भंडारण घटक के लिए सुरक्षित स्थान (प्रतिस्पर्धी खेतराधिकारों से निम्न में)।
- बॉडेड क्षेत्र में किसी टोल विनिर्माता को पूंजीगत वस्तुओं, उपकरण या औजारों प्रदान करने वाली किसी अनिवासी को पाँच वर्ष की छूट।

वैश्विक हब के रूप में आईएफएससी का लाभ उठाना

- अनुमोदित व्यवसाय के लिए आईएफएससी इकाईयों को लाभ संबद्ध कटौती 25 वर्षों में से लगातार 20 वर्षों की अवधि के लिए बढ़ाई जाती है।



संभावित प्रभाव

- मुकदमेबाजी में कमी और अनुपालन की अनिश्चितता
- बड़े निवेशकर्ताओं के लिए संभावित कर परिणाम
- बेहतर निवेश भावना और पूंजीगत अंतर्वाह

**प्रौद्योगिकी-प्रेरित एवं डिजिटल शासन
कागज के बजाय कोड, विवेक के बजाय प्रणाली**

“डिजिटल शासन से इरादे को प्रभावी कार्य में बदलते हैं”

लक्ष्य

पारदर्शिता, दक्षता, और अनुपालन निगरानी के लिए प्रौद्योगिकी का लाभ उठाना

मुख्य नीतिगत सुधार

सीमा शुल्क प्रक्रिया सुधार

- बॉन्ड्स एवं प्रतिभूतियों, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स, तथा इलेक्ट्रॉनिक कार्गो ट्रेकिंग प्रणाली के लिए स्वचालित चेतावनी मैनुअल निगरानी एवं पर्यवेक्षण को प्रतिस्थापित करेगा।
- प्रणाली आधारित मैचिंग एवं चुनिंदा निरीक्षणों के साथ कोरियर निर्यातों, आरटीओ और वापसी के लिए एंड-टू-एंड डिजिटल प्रक्रिया।
- विश्वस्त आपूर्ति श्रृंखला के लिए स्वचालित वस्तु पंजीकरण और समाशोधन।
- व्यापार के लिए एकीकृत प्रणाली में पीजीए के साथ एकल टच प्वाइंट संपर्क।
- अंतरराष्ट्रीय यात्रियों के लिए प्रदान किए जाने वाले घोषणा करने तथा शुल्क भुगतान हेतु ऑनलाइन एवं ऐप आधारित सुविधा।

टीडीएस सुधार

निम्नतर कटौती प्रमाण पत्र:

- छोटे करदाताओं के लिए स्कीम जिसमें आकलन अधिकारी के पास आवेदन दर्ज करने के स्थान पर कम अथवा शून्य कटौती प्रमाण पत्र प्राप्त करने हेतु नियम आधारित स्वचालित प्रक्रिया सक्षम बनाएगा।

लाभांश कटौती सुगमता:

- लाभांश पर टीडीएस के लिए फार्म 15जी अथवा 15एच हेतु न्यास के साथ एकल खिड़की फाइलिंग



संभावित प्रभाव

- पारदर्शिता में वृद्धि।
- मैनुअल हस्तक्षेप में कमी।
- बेहतर डाटा विश्लेषण और बेहतर अनुपालन ट्रेकिंग।

एमएसएमई को बढ़ावा देना बुनियादी विकास के कारकों प्रोत्साहित करना

“छोटे उद्यम सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाते हैं”

लक्ष्य

सरलीकृत कराधान और बेहतर नकद प्रवाह के माध्यम से एमएसएमई को समर्थन देना

आस्थगित शुल्क

- विश्वस्त एमएसएमई निर्माताओं के लिए आस्थगित शुल्क भुगतान विंडो।

प्रणाली प्रेरित समाशोधन

- विश्वस्त आपूर्ति श्रृंखला के लिए स्वचालित वस्तु पंजीकरण और समाशोधन।

डिजिटल शासन:

- व्यापार के लिए एकीकृत प्रणाली में पीजीए के साथ एकल टच प्वाइंट संपर्क।

नए प्रशुल्क लाइन

- बेहतर निर्यात ट्रेडिंग के लिए उत्पाद विशिष्ट प्रविष्टियां और पॉलिसी डिजाइन जिससे एमएसएमई मुल्यवर्धित निर्यात को समर्थन मिलेगा।

छोटे करदाताओं के लिए तरलता सुधार

- एमएसएमई सहित छोटे करदाताओं के लिए निम्नतर कटौती प्रमाण पत्र स्कीम

अन्य सीमा शुल्क युक्तिकरण/छूट

- शू-अपर्स के निर्यातकों के लिए विशिष्ट इनपुट की शुल्क मुक्त आयात को अनुमति दी जा रही है।
- चमड़ा और वस्त्र क्षेत्र में निर्यातकों के लिए शुल्क मुक्त आयातित इनपुट का उपयोग करने वाले अंतिम उत्पाद से निर्यात हेतु समय अवधि में 6 महीने से 1 वर्ष तक विस्तार किया जा रहा है।

श्रम-गहन क्षेत्रों के लिए टीडीएस का सरलीकरण

- मानव श्रम आपूर्ति के लिए सरलीकृत टीडीएस प्रावधानों से श्रम-गहन एमएसएमई को फायदा होगा।

दंड आधारित विवादों में कमी लाना

- प्रक्रियात्मक कमियों के लिए दंड को शुल्क में परिवर्तित करने से विरोधी मुकदमों में कमी आएगी और विश्वास आधारित अनुपालन को प्रोत्साहन मिलेगा।

गलती सुधारने के लिए समय प्रदान करना

- संशोधित एवं अद्यतन रिटर्न के लिए समय सीमा बढ़ाने से एमएसएमई को दंड संबंधी परिणामों के भय के बिना गलतियों को सुधारने के लिए अनुमति प्राप्त होगी।



संभावित प्रभाव

- तरलता में सुधार।
- अनुपालन बोझ में कमी।
- एमएसएमई औपचारिकरण में वृद्धि।

सहकारिता बढ़ाना सामूहिक शक्ति, समग्र समृद्धि

“सम्मिलित प्रयास सफलता को कई गुना करते हैं”

लक्ष्य

सहकारिता को समग्र विकास के साधन के रूप में सुदृढ़ करना

मुख्य नीतिगत सुधार

विस्तारित प्रोत्साहन

- उन प्राथमिक सहकारिता सोसायटीयों जो इसके सदस्यों द्वारा दूध, तिलहन, उगाए गए फल या सब्जियों को पशु चारा एवं कपास बीज आपूर्तिकर्ता को देते हैं, के लिए कटौती का विस्तार पहले से ही लागू है।

वितरित लाभांशों के लिए कर तटस्थता

- नई कर व्यवस्था के अंतर्गत अंतर-सहकारी सोसायटी लाभांश आय को कटौती के रूप में इस शर्त के साथ अनुमति देता है कि वह आगे इसके सदस्यों को वितरित की जाएगी।

विरासत वाले निवेशों को बनाए रखना

- 31.1.2026 तक कंपनियों में किए गए निवेश पर अधिसूचित राष्ट्रीय सहकारी परिसंघ द्वारा अर्जित लाभांश आय पर तीन वर्ष की अवधि के लिए छूट की अनुमति। इस छूट की अनुमति उन्हीं लाभांश पर लागू होगी जो आगे उसके सदस्य सहकारिताओं को वितरित होंगे।



संभावित प्रभाव

- सहकारिता नेटवर्क में बेहतर पूंजीगत दक्षता
- मजबूत तुलन पत्र और पुनः निवेश क्षमता
- सहकारी संरचना में कर विकृति की कमी
- मापनीय, व्यावसायिक रूप से शासित सहकारी उद्यम

**जीवन की सुगमता और सामाजिक सुरक्षा
तनाव कम करना, सुरक्षा को मजबूत करना**

“मानव कर प्रणाली, सबसे मजबूत कर प्रणाली”

लक्ष्य

परिवारों पर वित्तीय दबाव कम करना और सामाजिक सुरक्षा मजबूत करना

मुख्य नीतिगत सुधार

सीमा शुल्क प्रक्रिया सुधार

- शुल्क मुक्त भत्तों में संशोधन किया है और व्यक्तिगत प्रभाव के साथ नया लेपटॉप लाने के लिए स्पष्टता प्रदान की गई।

विदेशी यात्रियों के लिए सुविधा उद्घोषणा

- उद्घोषणा तथा शुल्क भुगतान करने के लिए ऑनलाइन एवं ऐप आधारित सुविधा

विदेश से निवासी के अंतरण के दौरान सुविधा

- विदेश से घरेलू सामान लाने के लिए शुल्क मुक्त अधिकार में संशोधन किया गया।

सीमा शुल्क युक्तिकरण

- सभी निजी आयातों, गिफ्ट के लिए समान सीमा शुल्क

संपत्ति से संबंधित अनुपालन का सरलीकरण

- एनआरआई के लिए शामिल संपत्ति के लिए लेनदेन हेतु टैन को निवासी खरीददार के पैर आधारित चालान से प्रतिस्थापित किया जाएगा।

टीसीएस युक्तिकरण

- विदेशी यात्रा कार्यक्रम पैकेज की बिक्री पर टीसीएस दर को कम करके 2 प्रतिशत करना (वर्तमान 5 प्रतिशत और 20 प्रतिशत से)
- शिक्षा और चिकित्सा हेतु एलआरएस प्रेषण की टीसीएस दर को कम करके 2 प्रतिशत करना (वर्तमान 5 प्रतिशत से)

सीमा शुल्क छूट

- कैंसर के उपचार के लिए 17 औषधियों/दवाओं पर सीमा शुल्क की छूट दी जा रही है।
- 7 और असाधारण बीमारियों के लिए औषधियों/दवाइयों और खाद्य पदार्थ के निजी आयात को शुल्क मुक्त किया गया है।

निम्न कटौती प्रमाण-पत्र

- छोटे करदाताओं के लिए योजना जिसमें एलडीसी प्राप्त करने के लिए नियम आधारित स्वचालित प्रक्रिया होगी।

लाभांश कटौती में आसानी

- लाभांश, ब्याज, आदि पर टीडीएस के लिए फॉर्म 15जी या फॉर्म 15एच के लिए न्यास के पास एकल विंडो फाइलिंग।

लघु निवेशकों के लिए विदेशी आस्ति प्रकटीकरण स्कीम:

- छोटे करदाताओं के लिए उनकी विदेशी आय या आस्ति के प्रकटीकरण हेतु एक कालिक 6 माह विदेशी आस्ति प्रकटीकरण स्कीम।

संशोधित रिटर्न

- रिटर्न संशोधित करने के लिए उपलब्ध समय को नाममात्र के शुल्क के भुगतान के साथ 31 दिसंबर से बढ़ाकर 31 मार्च किया गया है।



संभावित प्रभाव

- परिवार पर कर का बोझ कम करना।
- सामाजिक संरक्षण बढ़ाना।
- करदाता के बेहतर कल्याण।

नोट :

इस पुस्तिका में बजट 2026 के कर सुधार प्रस्तावों के स्टैकहोल्डर-वार विश्लेषण और विषयपरक विश्लेषण को संक्षेप रूप में प्रस्तुत किया गया है। यह केवल उक्त प्रस्ताव के सुलभ संदर्भ और सरल प्रस्तुतीकरण के लिए आशयित है। इसे मुख्य विषयों और सभी स्टैकहोल्डरों के लिए संभावित कार्यान्वयनों को समझने और उस पर चर्चा के लिए तैयार किया गया है। अंतिम और वैधानिक रूप से बाध्यकारी स्थिति वित्त विधेयक के संगत प्रावधानों के साथ-साथ संगत व्याख्यात्मक ज्ञापन और समय-समय पर यथा अधिनियमित संबद्ध सांविधिक दस्तावेजों द्वारा शासित होगी।

